05/01/26 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उप० पत्रावली का अध्ययन किया गया। तथा वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीना–II (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना न० :– 15 / 2025
दायर दिनांक :– 28.04.2025
निर्णय दिनांक :– 05.01.2026

उनवान

1. अशोक कुमार पुत्र रामनिवासी जाति ब्राहम्ण निवासी नारेड़ा कॅला तहसील बहरोड़।
2. उषा पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहम्णनिवासी ग्राम नारेड़ा कॅला तहसील बहरोड़।
3. जितेन्द्र पुत्र प्रकाशचन्द पौत्र रामनिवास ब्राहम्ण निवासी ग्राम नारेड़ा कॅला तहसील बहरोड़।
4. प्रवीण पुत्र प्रकाशचन्द पौत्र रामनिवास ब्राहम्ण निवासी ग्राम नारेड़ा कॅला तहसील बहरोड़।
5. रितिका पुत्री प्रकाशचन्द पौत्र रामनिवास ब्राहम्ण निवासी ग्राम नारेड़ा कॅला तहसील बहरोड़।
6. अरूणा पत्नी प्रकाशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड़।
7. बाला देवी पुत्री बाबूलाल जाति ब्राहम्ण,निवासी ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड़।
8. मुकेश पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण,निवासी ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड़।
9. श्यामसुन्दर पुत्र बाबुलाल जाति ब्राहम्ण,निवासी ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड़।
10. सावत्री देवी पत्नी बाबुलाल जाति ब्राहम्ण,निवासी ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड़।
11. सीताराम पुत्र रामनिवास जाति ब्राहम्ण,निवासी ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड़।

..........प्रार्थीगण

बनाम्

1. तहसीलदार साहब बहरोड़ बहैसियत होल्डर बहरोड़ जिला कोटपूतली–बहरोड़।

..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. का.अधि.

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता वादीगण।

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली के सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड़ के रहने वाले है। आराजी खसरा नम्बर साबिक 338 रकबा 5 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 415 रकबा 6 ऐयर वाके ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड जिला कोपूतली–बहरोड़ में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर साबिक 338 रकबा 5 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 415 रकबा 6 ऐयर वाके ग्राम नारेडा कॅला तहसील बहरोड़ में स्थित है। आराजी मुतनाजा में प्रार्थीगण मुतानाजा राजस्व रिकार्ड के खातेदार काश्तकार काबिज है। तथा साबिक ख. नम्बर 338 नक्शा ट्रेस 1977 में जहाँ पर स्थित है। जो नक्शा ट्रेस 1977 में ख. न. 338 के तरफ उत्तर में सडक के लिए निशानात लगाये गये है तथा ख. न. साबिक 338 के तरफ पश्चिम में ख. न. 339 अंकित है। जो 338 व 339 के मध्य की डोल सडक तक अंकित है। जो ख.न. 339 व 338 दोनो सडक पर लगते हुऐ नक्शा ट्रेस 1977 में स्थित है। जो नक्शा ट्रेस सन् 1977 संलग्न है। सन् 1977 में अंकित नक्शा ट्रेस के मुताबिक ख.न. 338 का हाल खसरा नम्बर 415 बना जो 338 के मुताबिक 415 मौके पर स्थित है। जिससे प्रार्थीगण मुताबिक नक्शा ट्रेस सम्वत 1977 के मौके पर काबिज है। जिससे हाल गल नक्शा ट्रेस की जानकारी ढव ज्ञान हो सका। प्रार्थीगण को मिलने वाले ने बताया की खसरा नम्बर 415

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)

वर्तमान नक्शा ट्रेस में सडक के पिछे कर दिया और 415 के आगे तरफ उत्तर में खसरा नम्बर हाल 414 अंकित कर दिया और बताया की इस गलत नक्षा ट्रेस की आड में प्रर्थीगण को बेंदखल किया जायेगा जिस पर हम प्रार्थीगण ने हाल व साबिक रिकार्ड को देखा एवं नकले आदि प्राप्त करने पर हम प्रार्थीगण को पता चला की वर्तमान नक्शा ट्रेस सम्वत 2038 में खसरा नम्बर हाल 415 के उत्तर में सडक के साथ ख.न. 414 दर्ज करते हुऐ ख.न. 414 व 415 के मण्य की डोल को खत्म करते हुऐ 414 को खसरा नम्बर 415 के तरफ उत्तर में सडक के साथ दर्शित कर दिया जो खिलाफ मौका खिलाफ कब्जा खिाफ नक्शा ट्रेश सम्वंत 1977 है। हम प्रार्थीण कासे इस गलत नक्शा ट्रेश की जानकारी एवं ज्ञान होने पर हम प्रार्थीण ने दिनांक 21.04.2025 को तहसीलदार साहब बहरोड़ को हाल नक्शा ट्रेश मुताबिक नक्शा सम्वत 1977 के सही करने के लिए कहाँ तो तहसीलदार साहब ने बताया की सम्बधित न्यायालय में नक्शा को सही करवाने की कार्यवाही करे जिस पर जानकारी एवं ज्ञान होने से प्रार्थना प. बिना किसी देरी के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक नक्शा ट्रेश सम्वत 1977 के आराजी ख.न. साबिक 338 रक्बा 5 बिस्वा का हाल ख.न. 415 रकबा 6 ऐयर वाके ग्राम नारेडा कैंला तहसील बहरोड़ में स्थित है जो साबिक ख.न. 338 नक्शा ट्रेश सम्वत 1977 के सम्वत 2039 में नक्शा ट्रेश नया बनाया जिसमें ख.न. 415 के तरफ में ख.न. 414 के भाग को दर्शित करते हुऐ ख.न. 415 को 415 व 414 के पिछे अंकित कर दिया जो खिलाफ नक्शा ट्रेश सम्वत 1977 है जो नक्शा ट्रेश सम्वत 1977 के हाल नक्शा ट्रेश दुरूस्त किया जाकर ख. न. 415 के तरफ उत्तर में 414 दर्शित है को हटाया जाकर ख. नम्बर 415 को तरफ उत्तर में पूर्व पश्चिम जारी सडक मार्ग पर लगाता हुआ अंकित किया जावे तथा ख.न. 415 व 414 के मध्य साबिक नक्शा ट्रेश के मुताबिक डोल कायम की जाने कि कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय हा में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र को वादीगण स्वंय सिद्व करे बाबत अंकित किया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जिसमें राजस्व मानचित्र (एक्स पार्चा) को संशोधन किये जाने के प्रावधान नही है। जिस सूरत में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 05/01/25 को यह निर्णय मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

रामकिशोर मीना–II)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली–बहरोड़)